ੴਸ੍ਰੀ ਞਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ ।।



प्रधान कार्यालय: 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली -110008 Head Office: 21, Rajendra Place, New Delhi – 110 008

# पोस्टल बैलेट नोटिस POSTAL BALLOT NOTICE

पोस्टल बैलेट फ़ॉर्म जांचकर्ता को पहुँचने की अंतिम तिथि: Last Date by which Postal Ballot Form shall reach to Scrutinizer:

> गुरुवार, 25 जून, 2020, साय 05.00 बजे Thursday, 25 June 2020, 05.00 P.M.

> > ई-वोटिंग अवधि / E-Voting Period

मंगलवार, 26 मई, 2020, प्रातः 10:00 बजे से गुरुवार, 25 जून 2020, साय 05:00 बजे Tuesday, 26 May 2020, 10:00 A.M. to Thursday, 25 June 2020, 05:00 P.M.

जहाँ सेवा ही जीवन-ध्येय है / Where Service is a Way of Life

# विषय सूची

क्रम स.	विषय	पृष्ठ स
1.	सूचना	3
2.	टिप्पणियां	5
3.	व्याख्यात्मक विवरणी	5

# **CONTENTS**

S. No.	Subject	Page No.
1.	NOTICE	10
2.	NOTES	11
3.	EXPLANATORY STATEMENT	11

प्रधान कार्यालय, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008

### पोस्टल बैलेट नोटिस

प्रिय शेयरधारक (कों)

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 44 यथा समय-समय पर संशोधित तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22 (विद्यमान प्रभावी किसी भी साविधिक संशोधन(नों) या पुन: अधिनियमन के अनुसार पंजाब एण्ड सिंध बैंक (जिसे इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के अपने शेयर धारकों से पोस्टल बैलेट के जिरए जिसमें इलेक्ट्रिक माध्यम से वोटिंग यथा इ-वोटिंग शामिल है, विशेष संलल्प पारित करने की अनुमित चाहता है।

प्रस्तावित विशेष संलल्प एवं तथ्य युक्त व्याख्यात्मक वृतांत एवं उसके कारण आपके विचारार्थ हेतु पोस्टल बैलेट फार्म के साथ संलग्न है।

बैंक ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से पोस्टल बैलट एवं इ-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन हेतु श्री दीपक गुप्ता (C.P सं. 4629) को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

कृपया पोस्टल बैलट नोटिस और फॉर्म में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें तथा सभी प्रकार से पूर्ण रूप से भरा हुआ फार्म संलग्न स्वनामांकित पोस्टेज प्री-पेड बिजनेस लिफाफे में इस तरह भेजें कि वह जांचकर्ता को निम्नलिखित पते पर दिनांक 25.06.2020 को कार्य की समाप्ति यथा शाम 5.00 बजे तक प्राप्त हो जाए।

लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यूनिट : पंजाब एण्ड सिंध बैंक नोबेल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट नं. एनएच-2 एलएससी, सी-1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के पास जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

बैंक विशेष संकल्प पर मतदान के लिए ई-वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रहा है। वोटिंग की सुविधा चुनने के इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे पोस्टल बैलट नोटिस और ई-वोटिंग के उद्देश्य से दिए गए निर्देशों को पढें।

जांचकर्ता बैंक के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ("एमडी और सीईओ") या बैंक के किसी अन्य निदेशक / अधिकारी को पोस्टल बैलटों के जांच खत्म होने पर जैसािक निदेशक मंडल के द्वारा प्राधिकृत होगा, को प्रस्तुत करेगा। पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान का परिणाम जून 27, 2020 को www.psbindia.com पर बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित करके शाम 5:00 बजे या उससे पहले घोषित किया जाएगा और स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा। परिणाम को सीडीएसएल (ई-वोटिंग एजेंसी) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

## 1. आहर्ता प्राप्त संस्था नियोजन के माध्यम से पूंजी प्राप्त करना

विचारोपरांत उचित पाए जाने पर विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

संकल्प किया गया कि "बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 (" अधिनियम "), राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 (" योजना ") और पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एण्ड मिटिंग्स), अधिनियम 2008, यथा समय-समय पर संशोधित और भारतीय रिजर्व बैंक ("RBI"), भारत सरकार ("GOI") भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी"), के प्रावधानों के अनुसार (अन्य योजनाओं के अनुसार) के अनुमोदन, सहमित, अनुमित और प्रतिबंधों और / या किसी अन्य प्राधिकारी के रूप में इस संबंध में आवश्यक हो सकता है और ऐसे नियमों, शर्तों और संशोधनों के अधीन हो सकता है जैसे कि उनके द्वारा इस तरह की मंजूरी देने में निर्धारित किया जा सकता है और जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा और नियमों के अधीन होने पर सहमित हो सकती है जैसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2018 ("सेबी आईसीडीआर विनियम) आज तक संशोधित है और भारतीय

प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (पुंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2015(सुजीबद्ध अधिनियम), यथा आज तक संशोधित, दिशानिर्देश, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी द्वारा अधिसूचित, यदि कोई हो, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 और अन्य सभी लागू कानूनों और सूचीकरण समझौतों के अधीन समय-समय पर और अन्य सभी संबंधित प्राधिकारियों के अधीन परिपत्र और स्पष्टीकरण, स्टॉक एक्सचेंजों में दर्ज किए गए, जहां बैंक के इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध किया जाता है, बैंक के शेयरधारकों की सहमित होती है और इसके बाद बैंक के निदेशक मंडल (जिसे बाद में "बोर्ड" कहा जाता है) को पूंजी मुद्दा सिमित में शामिल करने के लिए समझा जाएगा जिसे बोर्ड ने गठित किया है या रूप ये के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों को बनाने, प्रस्तुत करने, जारी करने और आवंटित करने के लिए (इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए) पुन: गठन कर सकते हैं। 10 प्रत्येक ("इक्विटी शेयर") कुल मिलाकर 500 करोड़ रूप ये से अधिक नहीं है (केवल पांच सौ करोड़ रूप ये) (शेयर प्रीमियम सहित) जो बैंक की मौजूदा भुगतान-योग्य पूंजी की सीमा के भीतर होगा। बैंक की प्राधिकृत पूंजी, इस तरह से कि केंद्र सरकार हर बार बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी का 52% से कम नहीं रखेगी (भारत सरकार के मौजूदा निर्देश के अनुसार), एक या अधिक किश्तों में , एक या एक से अधिक ट्रेंच में एक आहर्ता प्राप्त संस्था नियोजन ("QIP") के माध्यम से, भारत में या एक या एक से अधिक विदेशी बाजारों में अंतर्राष्ट्रीय पेशकश के दौरान, तरजीही आवंटन के आधार पर निजी पेशकश के माध्यम से, के मुद्दे के माध्यम से आहर्ता प्राप्त संस्थागत खरीदारों ("क्यूआईबी"), विदेशी संस्थागत निवेशकों ("एफआईआई"), बैंकों, वित्तीय संस्थानों, भारतीय मुद्रा कोष, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंटु सिंहत किसी भी पात्र व्यक्ति को नियोजन दस्तावेज / या अन्य अनुमेय / अपेक्षित प्रस्ताव दस्तावेज पुन: पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियाँ, भविष्य निधि, पेंशन निधि, विकास वित्तीय संस्थाएँ या अन्य संस्थाएँ, प्राधिकरण या किसी अन्य श्रेणी के निवेशक जो बैंक के प्रतिभृति में निवेश करने के लिए प्राधिकृत हैं, जो कि प्रचलित नियमों / दिशा-निर्देशों या किसी अन्य के अनुसार हैं। उपर्युक्त का संयोजन, ऐसी कीमत या कीमतों पर, अनुमेय छूट पर (सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के तहत अनुमित दी जा सकती है लेकिन किसी भी छूट तक सीमित नहीं है) या इस तरह से लागू कानूनों के तहत बाजार मूल्य या कीमतों के लिए प्रीमियम ऐसे नियमों और शर्तों पर जिन्हें बोर्ड द्वारा अपने विवेक से पूर्ण विवेक से उचित समझा जा सकता है, उन निवेशकों की श्रेणियों को निर्धारित करने के लिए जिनके लिए प्रस्ताव, जारी और आवंटन किया जाएगा, मौजूदा बाजार की स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों और जहां भी आवश्यक हो, पर विचार किया जाएगा। बुक रिनंग लीड मैनेजर (एस) और / या अंडरराइटर (एस) और / या अन्य सलाहकारों के परामर्श से या मध्यस्थ नियुक्त किया है और / या बैंक द्वारा नियुक्त किया जाना है ("जारी")।

पुन: संकल्प किया गया कि, लागू कानूनों के अधीन, बैंक के शेयरधारकों की स्वीकृति बैंक के बोर्ड को दी जाती है जो सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अनुरूप है:

- क) इक्विटी शेयरों का आवंटन केवल आहर्ता प्राप्त संस्थागत खरीदारों (QIB) को होगा (जैसा कि सेबी आईसीडीआर विनियमों में परिभाषित किया गया है) और ऐसे इक्विटी शेयर पूरी तरह से भुगतान किए जाएंगे और ऐसे इक्विटी शेयरों का आवंटन पास होने की तारीख से 12 महीने के भीतर पूरा हो जाएगा। यह अंशधारक समय-समय पर सेबी आईसीडीआर विनियमों के तहत इस मुद्दे या ऐसे अन्य समय को मंजूरी दे सकता है। "
- ख) सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 176 (1) के प्रावधान के अनुसरण में बैंक सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार निर्धारित आधार कीमत पर पांच प्रतिशत से अधिक की नहीं छूट पर शेयरों की पेशकश करने के लिए अधिकृत है।
- ग) प्रतिभृतियों के आधार मृल्य के निर्धारण की प्रासंगिक तिथि सेबी के आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी।

पुन: संकल्प किया गया कि बैंक के शेयरधारकों की स्वीकृति बैंक के बोर्ड को दी जाती है जो कि बोर्ड के पास प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार और अधिकार होगा, जैसा कि भारत सरकार / आरबीआई/ सेबी / स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा किया जा सकता है, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध होते हैं या इस संबंध में बोर्ड द्वारा दी गई सहमित के अनुसार निर्गम, आबंटन एवं सूचीयन, अनुमोदन, सहमित, अनुमित एवं मंजूरी प्रदान करते समय उनके द्वारा वांछित संशोधनों को स्वीकार करने का अधिकार बोर्ड के पास निहित होगा।

पुनः संकल्प किया गया कि एनआरआई, एफआईआई और / या अन्य पात्र विदेशी निवेश के लिए निर्गम और आवंटन इक्विटी शेयर, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत आरबीआई की मंजूरी के अधीन लागू हो सकता है, लेकिन अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमाओं के भीतर हो सकते हैं। "

पुन: संकल्प किया गया कि जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयर पंजाब एंड सिंध बैंक (शेयर्स एंड मीटिंग्स) विनियम, 2008 के अनुसार, यथा संशोधित, किए जाएंगे और बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के अनुरूप होंगे और लाभांश घोषित करने के हकदार होंगे, यदि कोई हो, वैधानिक दिशानिर्देशों के अनुसार जो इस तरह की घोषणा के समय लागू हैं। " पुन: संकल्प किया गया कि किसी भी मुद्दे को प्रभावित करने या इक्विटी शेयरों / प्रितभूतियों के आबंटन के उद्देश्य से, बैंक के शेयरधारकों की सहमित बैंक बोर्ड को दी गई है और इसके लिए मुद्दे का स्वरूप और शिष्टता को निर्धारित करने के लिए अधिकृत है, निवेशकों की वह श्रेणी जिसमें प्रतिभूतियों का आवंटन किया जाना है, प्रत्येक किश्त में आवंटित की जाने वाली शेयरों / प्रितभूतियों की संख्या, जारी करने की कीमत, प्रीमियम राशि जारी करना जैसािक बोर्ड अपने पूर्ण विवेक में ऐसा करने के लिए पूर्ण सक्षम बैठता है और ऐसे सभी कार्य करता है, कर्म, मामलों और चीजों और ऐसे कर्मों, दस्तावेजों और समझौतों को निष्पादित करते हैं, जैसा कि वे अपने पूर्ण विवेक में, आवश्यक, उचित या वांछनीय, और किसी भी प्रश्न, किटाइयों या संदेह के निपटारे के लिए निर्देश या निर्देश देने या देने के लिए कर सकते हैं जो इस संबंध में शेयर्स के निर्गमन, प्रस्ताव और आबंटन के लिए अविभूत हो सकते हैं और निर्गत की प्रक्रिया का उपयोग, और इस तरह के संशोधनों, परिवर्तन, बदलाव, परिवर्तन, विलोपन, परिवर्धन के प्रभाव को स्वीकार करने और स्वीकार करने के लिए शर्तों और सह के संबंध में जैसा कि, अपने पूर्ण विवेक में, पूर्ण सक्षम और बैंक के सर्वोत्तम हित में उचित हो सकता है, बिना सदस्यों के किसी और अनुमोदन की आवश्यकता के बिना और बैंक या बोर्ड द्वारा प्रदत्त सभी या किसी भी शक्तियां इस संकल्प को पूरा करती हैं और बोर्ड द्वारा प्रयोग किया जाता है। "

पुन: संकल्प किया गया कि उपरोक्त मुद्दे को प्रभावित करने के लिए, बोर्ड, बैंक द्वारा नियुक्त किए गए लीड मैनेजरों, अंडरराइटरों, सलाहकारों और / या अन्य व्यक्तियों के परामर्श से उपरोक्त, बोर्ड को प्रभाव देने के उद्देश्य से, इस मुद्दे के प्रपत्र और शर्तों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत है और इसके साथ ही निवेशकों के वर्ग सिहत, जिनके लिए शेयर / प्रतिभूतियां आवंटित की जानी हैं, प्रत्येक किश्त में आवंटित की जाने वाली शेयरों / प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम, यदि कोई हो तो), अंकित मूल्य, प्रीमियम राशि, रिकॉर्ड तिथि का निर्धारण या पुस्तक बंद होने और संबंधित या आकस्मिक मामलों, भारत और / या विदेशों में एक या एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टिंग, बोर्ड के रूप में अपने पूर्ण विवेक में सक्षम है। "

पुन: संकल्प किया गया कि बोर्ड किसी भी बुक रिनंग लीड मैनेजर (ओं), बैंकर (ओं), अंडरराइटर (ओं), डिपॉजिटरी, रिजस्ट्रार (ओं), ऑडिटर (ओं) के साथ इस तरह की व्यवस्था करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत है और ऐसी सभी एजेंसियां जो इक्विटी / सिक्योरिटीज की पेशकश में शामिल या संबंधित हो सकती हैं और ऐसे सभी संस्थानों और एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकरेज, फीस की पेशकस करती हैं या इस तरह की एजेंसियों के साथ सभी व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापनों को निष्पादित करती हैं।"

पुन: संकल्प किया गया कि उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए बोर्ड द्वारा ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से उचित समझे तथा इक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, किटाई या शंका का समाधान करने, पुन: ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, सभी आवश्यक, वांछनीय एवं उचित दस्तावेज व ज्ञापनों को निष्पादित करने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से ठीक, उचित एवं वांछनीय समझे, को आगे शेयरधारकों की कोई और सहमित या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिए इस संकल्प के द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिए गए किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत माना जाए तथा एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है।"

**पुनः संकल्प किया गया कि** बोर्ड उसे प्रदत्त सभी या किसी अधिकार को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कोई भी एक कार्यकारी निदेशक या बैक के ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें वह उचित समझें उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए प्रत्यायोजित कर सकता है।

> निदेशक मंडल के आदेशों द्वारा जारी Sd/-

श्री एस हरिशंकर प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 15.05.2020

#### नोट :

1. व्याख्यात्मक विवरण : बैठक के व्यवसाय के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को समायोजित करता हुआ व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है और यह नोटिस का भाग है।

#### I. अहर्ता प्राप्त संस्थागत नियोजन के माध्यम से सामान्य शेयरों का निर्गम

- बेसल III के अनुसार, 31 दिसंबर, 2019 को स्तर I पर 9.37% (सीईटी 17.16% होना) और स्तर II पर 2.67% के साथ बैंक का सीआरएआर 12.04% था। बैंक की प्राधिकृत पूंजी रु 3000 करोड़ है और बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी रूप ये 701.05 करोड़ है। बेसल III पूंजी विनिमय के संदर्भ में निधि की बढ़ती पूंजी आवश्यकताओं को प्राप्त करने और बैंक की सामान्य व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए निधि के उद्देश्य से, योग्य संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) या बैंक बोर्ड या बोर्ड की सिमित द्वारा निर्णय लिए गए इस प्रकार के अन्य मुद्दे के रूप में निर्गत शेयरों के माध्यम से, प्राधिकृत पूंजी के उच्चतम सीमा के अधीन, बैंक रूप ये 500 करोड़ (शेयर प्रीमियम सिंहत) की राशि जुटाने का प्रस्ताव रखता है। प्रयोज्य कानूनों और नियमों के अनुपालन के अधीन, बैंक अपनी सीईटी I पूंजी को बढ़ाने और सामान्य व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए, इस निर्णम की निवल प्राप्ति को प्रयोज्य कानूनों के अनुसार उपयोग करने का इरादा रखता है।
- प्रस्तावित विशेष संकल्प, अहर्ता प्राप्त संस्थान नियोजन के माध्यम से इक्विटी शेयरों को बनाने, प्रस्तुत करने, जारी करने और आबंटित करने के लिए शेयरधारकों से किसी और अनुमोदन की आवश्यकता के बिना, बैंक के निदेशक मंडल (बोर्ड) को बैंक के शेयरधारकों के सक्षमकरण का प्रयास करता है जैसा कि प्रयोज्य कानूनों व दिशानिर्देशों के अनुसार और केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी तथा अन्य आवश्यक अनुमोदन के अधीन और भारत सरकार की शेयरधारिता जो बैंक के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 52% से कम न हो (भारत सरकार के विद्यमान निर्देश के अनुसार), के अधीन बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से कर सकता है कि ऐसे मूल्य या कीमतों पर, एक या एक से अधिक समय में, एक या अधिक श्रृंखला में बाजार की स्थितियों पर निर्भर करता है।
- सेबी आईसीडीआर विनियम की शर्तों के अनुसार, क्यूआईपी के लिए संकल्प की वैधता 365 दिनों तक सिमित है। उपर्युक्त विशेष प्रस्ताव आगे शेयरधारकों से नए सिरे से अनुमोदन प्राप्त किए बिना सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अंतर्गत अहर्ता प्राप्त संस्थागत खरीदारों के साथ एक अहर्ता प्राप्त संस्थान नियोजन के लिए निदेशक मंडल को सशक्त बनाने का प्रयास करता है। सेबी विनियमों के अध्याय VI के संदर्भ में, क्यूआईपी निर्गम ऐसी कीमत पर होगा जो सेबी आईसीडीआर विनियमों (क्यूआईपी आधार मूल्य) के अध्याय VI के तहत उपलब्ध मूल्य निर्धारण सूत्र के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम नहीं है।
- चूंकि परिवर्ती चरण को छोड़कर प्रस्ताव का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता इसलिए जारी किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की कीमत बताना संभव नहीं है। प्रस्ताव के लिए विस्तृत निबंधन व शर्ते, बुक रिनंग अग्रणी प्रबंधकों तथा सलाहकारों और इस तरह के अन्य एजेंसियों के परामर्श से निर्धारित की जाएगी जो प्रचलित बाजार की स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के मद्देनजर आवश्यक हो सकती है।
- आबंटित इक्विटी शेयर, बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों सिहत समान श्रेणी के होंगे। प्रस्ताव के अनुसार जारी किए गए शेयरों को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया जाएगा।
- इस प्रयोजन हेतु, बैंक को विशेष संकल्प द्वारा शेयरधारकों की सहमित प्राप्त करना आवश्यक है।
- बैंक का निदेशक मंडल, नोटिस के मद संख्या 1 में सूव्यवस्थित प्रस्तावित संकल्प को पारित करने की अनुशंसा करता है।
- संकल्प में निहित प्रस्ताव से कोई भी निदेशक संबद्ध या हितबद्ध नहीं है।
- 2. <u>नोटिस को प्रेषित करने का माध्यम :</u> डाक मतपत्र फॉर्म के साथ यह नोटिस उन शेयरधारकों को इलेक्टॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है जिनके ई-मेल पते बैंक/डिपाजिटरी के साथ रिजस्टर्ड है बशर्ते किसी शेयरधारक ने इसकी भौतिक प्रति प्राप्त होने के लिए रिजस्टर्ड न कर रखा हो। जिन शेयरधारकों के ई-मेल पते पंजीकृत नहीं है, उनको भौतिक प्रतियाँ अनुमत माध्यम से भेजी जा रही है। शेयरधारक यह भी नोट करें कि डाक मतपत्र की उक्त नोटिस बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com तथा ई-वोटिंग एजेंसी सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध होगी।
- 3. अंतिम तारीख: वोटिंग अधिकार की गणना मई 14,2020 ("निर्धारित तिथि") को शेयरधारक के नाम से पंजीकृत इक्विटी शेयर की प्रदत्त पूंजी के आधार पर की जाएगी। केवल वही शेयरधारक जिनके नाम निर्धारित तिथि को बैंक के शेयरधारकों के रिजस्टर्ड या डिपॉजिटरीज के द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामित्व रिजस्टर में दर्ज है, वही डाक मतपत्र या ई-वोटिंग के द्वारा अपने वोट दे पाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो निर्धारित तिथि को सदस्य नहीं है, वह डाक मतपत्र की इस नोटिस को सूचना मात्र समझें।
- 4. <u>मताधिकार</u>: बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 3 (2 ई) के अनुसार, केंद्र सरकार के अतिरिक्त संबंधित नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, संबंधित नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकार के 10 (दस) प्रतिशत से अधिक अपनी शेयरधारिता के लिए वोटिंग अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेगा। अधिनियमों, विनियमों, योजनाओं और किसी भी संशोधन की स्थिति में दिए गए नोटिस की मौजुदा प्रक्रिया के किसी भी भाग में परिवर्तन होता है तो परिणामस्वरूप संशोधन लागू होगा।

5. <u>मतदान का माध्यम :</u> शेयरधारक, वोटिंग के केवल एक माध्यम का चुनाव कर सकते हैं अर्थात या तो डाक मतपत्र या ई-वोटिंग। यदि कोई शेयरधारक अपना मत, डाक मतपत्र फॉर्म व ई-वोटिंग दोनों माध्यम से अपना मत देता है तो ई-वोटिंग से दिया गया वोट वैध माना जाएगा व डाक मतपत्र फॉर्म से दिया गया मत अवैध माना जाएगा।

इसके अलावा, जिन शेयरधारकों को डाक मतपत्र की नोटिस, ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुई है और वो भौतिक डाक मतपत्र फॉर्म के माध्यम से वोट देना चाहते हैं, वे बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com से डाक मतपत्र फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या कंपनी सेक्रेटरी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, बैंक हाउस, प्रथम तल, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 को लिखकर या complianceofficer.psb.co.in को ई-मेल भेजकर फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं तथा विधिवत भरा हुआ व हस्ताक्षरित पोस्टल बैलेट फॉर्म इस प्रकार भेजें कि वह दिनांक 25 जून, 2020, गुरुवार को अपराह 05:00 बजे (आईएसटी) तक या उससे पहले हमें प्राप्त हो जाए।

- 6. <u>संकल्प पारित करने की तिथि :</u> उक्त संकल्प, यदि अपेक्षित बहुमत से पास हो जाता है तो इसे **जून 25, 2020, गुरुवार** अर्थात विधिवत भरे हुए डाक मतपत्र फॉर्म या ई–वोटिंग की प्राप्ति के लिए बैंक द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि को पास हुआ माना जाएगा।
- 7. परोक्षी ( प्रॉक्सी ) : किसी भी शेयरधारक को डाक मतपत्र पर प्रोक्सी द्वारा वोट करने का अधिकार नहीं है।
- 8. <u>वोटिंग की प्रक्रिया</u>: A. पोस्टल बैलट फॉर्म के जिए वोटिंग: ऐसे शेयरधारक जो पोस्टल बैलट फॉर्म के द्वारा वोट करना चाहता है, से अनुरोध है कि फॉर्म के पीछे मुद्रित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें एवं पूरा भरा हुआ व हस्ताक्षरित फॉर्म संलग्न प्रीपेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे, जिस पर प्राप्तकर्ता का पता मुद्रित है, में रखकर जांचकर्ता को भेज दें जिससे वह जांचकर्ता को विनांक 25 जून, 2020, विन गुरुवार को शाम 5.00 बजे तक पहुंच जाए। डाक खर्च बैंक द्वारा वहन किया जाएगा तथापि, पोस्टल बैलट फॉर्म का लिफाफा यदि कोरियर या रिजस्टर्ड/ स्पीड पोस्ट द्वारा शेयरधारक अपने व्यय पर प्रीपेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे पर दिए गए पते पर भेजता है अथवा व्यक्तिगत रूपसे प्रस्तुत करता है, तो उसे भी स्वीकार किया जाएगा। यदि कोई पोस्टल बैलट फॉर्म दिनांक 25 जून, 2020, दिन गुरुवार को शाम 5.00 बजे के बाद प्राप्त होता है तो यह माना जाएगा कि शेयरधारक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इसके अलावा, कृपया नोट करें कि पोस्टल बैलट फॉर्म को अवैध माना जाएगा, यदि;
- i. शेयरधारक(ओं) की सहमित या असहमित के बिना किसी संदेह का पता लगाना संभव नहीं होता है; और/अथवा
- ii. सक्षम प्राधिकारी ने शेयरधारक(ओं) के वोटिंग अधिकार को फ्रीज करने के लिए बैंक को लिखित रूप से निर्देश दे दिए हैं; और/अथवा
- iii. यह इस तरीके से मुड़ा-तुड़ा या कटा-फटा है कि इसकी पहचान वास्तविक फॉर्म के रूप में स्थापित करना संभव नहीं है; और/अथवा
- iv. शेयरधारक(ओं) ने अपने वोट का प्रयोग करते समय इसमें दिए गए प्रस्ताव में कोई संशोधन कर दिया है या कोई ऐसी शर्त लगा दी है; और/अथवा
- v. फॉर्म में दिए गए विवरण अपूर्ण एवं सही नहीं है; और/अथवा
- vi. फॉर्म हस्ताक्षरित नहीं है या हस्ताक्षर मेल नहीं खाते हैं; और/अथवा
- vii. यदि उपयोग में लाया गया फॉर्म बैंक द्वारा जारी फॉर्म से अलग है।

यदि कोई शेयरधारक डुप्लीकेट फॉर्म लेने का इच्छुक है, तो वह बैंक को इसके प्रधान कार्यालय के पते पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक हाउस, प्र.का. लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, प्रथम तल, 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 अथवा इसके रिजस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट सं. एनएच 2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 पर लिख सकते हैं। हालांकि, ऐसी स्थित में पूरा भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित डुप्लीकेट पोस्टल बैलट फॉर्म जांचकर्ता के पास दिनांक 25 जून, 2020, गुरुवार को शाम 5.00 बजे तक या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए।

- b. ई-वोटिंग: ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं तरीका निम्नानुसार होगा -
- i. दिनांक 26.05.2020 को प्रात: 10.00 बजे वोटिंग की अविध आरम्भ होगी और दिनांक 25.06.2020 को सायंकाल 5.00 बजे समाप्त हो जाएगी।
   इस अविध के दौरान बैंक के ऐसे शेयरधारक जिनके पास अंतिम तिथि दिनांक 14.05.2020 तक शेयर भौतिक रूप से अथवा अभौतिक रूप में हैं,
   वे इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद सीएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मॉडयूल को वोटिंग के लिए बंद कर दिया जाएगा।
- ii. शेयरधारकों को ई-वोटिंग साईट www.evotingindia.com पर वोटिंग हेतु लॉग-ऑन करना चाहिए।
- iii. शेयरधारक पर क्लिक करें।

- iv. अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें।
  - a. सीएसडीएल हेतु -16 अंकों की हिताधिकारी आईडी।
  - b. एनएसडीएल हेतु 8 स्वरूप की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की ग्राहक आईडी।
  - c. भौतिक रूप में शेयरधारक अपनी पंजीकृत फोलियो संख्या प्रविष्ट करें।
- v. दर्शाई गई इमेज को प्रविष्ट करें और लॉग-इन पर क्लिक करें।
- vi. यदि आपके पास शेयर अभौतिक रूप में हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग-इन कर दिया है और पूर्व में किसी कंपनी हेतु वोट कर दिया है तो अपने वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।
- vii. यदि आप पहली बार वोटिंग कर रहे हैं तो दिए गए निम्न चरणों का अनुसरण करें-

भौतिक रूप तथा अभौतिक रूप (डीमैट) में शेयरधारकों हेतु			
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक पैन प्रविष्ट करें (यह डीमेट शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों		
	दोनों के लिए लागू है)		
	ऐसे सदस्य जिन्होंने अपना पैन कंपनी/डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपडेट नहीं कराया है, से अनुरोध है कि वे पैन फील्ड		
	में उल्लिखित पोस्टल बैलेट पर मुद्रित अनुक्रम संख्या का उपयोग करें।		
(डीओबी)	कृपया जन्मतिथि दिन/माह/वर्ष प्रारूप में दर्ज करें जैसा कि आपके डीमेट खाते में या कंपनी के डीमेट खाते के अनुसार या फोलियो		
	में दर्ज किया गया है।		
लाभांश बैंक	कृपया लाभांश बैंक विवरण प्रविष्ट करें जैसा कि आपके डीमेट खाते में या कंपनी के डीमेट खाते के अनुसार या फोलियो में दर्ज		
विवरण	किया गया है।		
	लॉगइन के लिए कृपया जन्मतिथि या लाभांश बैंक विवरण प्रविष्ट करें। यदि विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी के पास पंजीकृत नहीं है		
	तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फील्ड में सदस्य आईडी/फोलियो संख्या जैसा कि निर्देश (iv) में उल्लेखित है, प्रविष्ट करें।		

- viii. इन विवरणों को प्रविष्ट करने के पश्चात "सबिमट" टेब पर क्लिक करें।
- ix. ऐसे सदस्य जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, वे सीधे सेलैक्शन स्क्रीन पर पहुँच सकते हैं। जबिक ऐसे सदस्य जिनके पास डीमेट रूप में शेयर हैं, वे "पासवर्ड क्रिएशन" विकल्प में पहुँचेंगे जिसमें उन्हें अनिवार्य रूप से नए पासवर्ड फील्ड में अपना लॉगइन पासवर्ड दर्ज करना होगा। कृपया नोट करें कि यह पासवर्ड डीमेट धारकों द्वारा, िकसी भी कंपनी जिसमें वे वोट देने के लिए समर्थ हैं जबिक वह कंपनी जिसमें सीडीएसएल द्वार ई-वोटिंग करवाती हो, प्रयोग किया जा सकता है। आपको गंभीरता से सलाह दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें।
- x. ऐसे सदस्य जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं, वे विवरण का उपयोग इस सूचना में केवल ई-वोटिंग हेतु दिए गए प्रस्ताव में कर सकते हैं।
- xi. पंजाब एण्ड सिंध बैंक हेतु "ईवीएसएन" पर क्लिक करें जिसको आप वोट करना चाहते हैं।
- xii. वोटिंग पृष्ठ पर आप "रिजोल्यूशन डिस्क्रिप्शन" के समक्ष वोटिंग के लिए "हाँ/नहीं" का विकल्प देखेंगे। जहाँ आवश्यक हो, 'हाँ' अथवा 'नहीं' विकल्प का चुनाव करें। 'हाँ' का विकल्प प्रस्ताव के प्रति आपकी सहमति सूचित करता है तथा 'नहीं' का विकल्प प्रस्ताव के प्रति आपकी असहमति सुचित करता है।
- xiii. यदि आप सभी प्रस्तावों को देखना चाहते हैं तब "रिजोल्युशन फाइल लिंक" पर क्लिक करें।
- xiv. वोट करने के प्रस्ताव को चुनने के पश्चात "सबिमट" पर क्लिक करें। एक पुष्टि बॉक्स वहाँ दिखेगा। यदि आप पुष्टि करना चाहते हैं तो 'ओके' पर क्लिक करें, यदि आप वोट बदलना चाहते हैं तो "कैंसिल" पर क्लिक करें और इस प्रकार आप अपना वोट बदल सकते हैं।
- xv. यदि आप प्रस्ताव पर एक बार अपना वोट "कंफर्म" कर देते हैं तब आपको उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- xvi. आप अपने द्वारा किए गए वोट का प्रिंट भी वोटिंग पेज "प्रिंट लेने हेतु यहाँ क्लिक करें" पर क्लिक करके ले सकते हैं।
- xvii. यदि डीमेट खाताधारक अपना परिवर्तित पासवर्ड भूल गया है तब यूजर आईडी और ईमेल सत्यापन कोड को प्रविष्ट करें और भूले हुए पासवर्ड पर क्लिक करें तथा सिस्टम द्वारा मांगे गए विवरण को प्रविष्ट करें।
- xviii. अवैयक्तिक शेयरधारक तथा अभिरक्षकों हेतु ध्यानार्थ
  - a. अवैयक्तिक शेयरधारक (जैसे वैयक्तिक से अलग, हिंदू संयुक्त परिवार, एनआरआई आदि) और अभिरक्षकों का www.evotingindia.com पर लॉगइन करना होगा और कॉर्पोरेट के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।
  - b. पंजीकरण की स्कैन कॉपी को जिस पर संस्था की मोहर तथा हस्ताक्षर हों, helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल कर देना चाहिए।

- c. लॉगइन विवरण प्राप्त होने के बाद एडिमन लॉगइन और पासवर्ड का उपयोग कर अनुपालन यूजर क्रिएट कर लेना चाहिए। अनुपालन यूजर खातों को लिंक करने में समर्थ होगा जिसके लिए वो वोट करना चाहते हैं।
- d. सभी खातों की सूचीhelpdesk.evoti ng@cdslindia.com को मेल कर देनी चाहिए और खातों की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद वो अपना वोट करने में समर्थ होंगे।
- e. अभिरक्षक के पक्ष में उनके द्वारा जारी पॉवर ऑफ अटार्नी (पीओए) और मंडल प्रस्ताव की स्कैंड प्रति, यदि कोई हो, को पीडीएफ प्रारूप में सिस्टम में अपलोड करना चाहिए ताकि संवीक्षक उसको सत्यापित कर सके।
- xix. ऐसे व्यक्ति जिन्होंने शेयर खरीदे हैं और नोटिस प्रेषित करने के बाद सदस्य बन गए हैं, वे दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए ऊपर दी गई प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं।

टिप्पणी : यदि कोई सदस्य अपना वोट दोनों अर्थात भौतिक मतदान या ई-वोटिंग से करता है तो ई-वोटिंग के माध्यम से की गई वोटिंग मान्य रहेगी तथा भौतिक मतदान को अनदेखा कर दिया जाएगा।

श्री दीपक गुप्ता, कार्यरत कंपनी सचिव (सीपी नं. 4629) को विशेष सामान्य बैठक में इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया और पोस्टल बैलेट में मतदान के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि बैठक समाप्त होने के 2 दिनों के भीतर पक्ष या विपक्ष में डाले गए वोटों की रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करेंगे।

परिणाम घोषित करने के तुरंत बाद संवीक्षा रिपोर्ट के साथ परिणाम को बैंक की वेबसाइट तथा सीडीएसएल की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। पर्याप्त वोट की प्राप्ति पर प्रस्ताव (ओं) को पोस्टल बैलेट की प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात गुरुवार, जून 25, 2020 के दिन पारित माना जाएगा। बैठक की सूचना www.psbindia.com तथा www.cdslindia.com पर भी प्रदर्शित है।

यदि ई-वोटिंग के संदर्भ में आपका कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा है तो बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न ("FAQs") पर जाएं तथा सहायता अनुभाग के अंतर्गत www.evotingindia.com पर ई-वोटिंग मैनुअल उपलब्ध है अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करें या श्री वेंसलॉस फर्टाडो, उप प्रबंधक, सीडीएसएल, 16वां तल, पी.जे. टॉवर, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-400001, दूरभाष सं. 18002005533 अथवा श्री भारत भूषण, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, लिंक इंटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड, नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट सं. एनएच 2, सी-1 ब्लॉक एलएससी, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, दूरभाष-41410592, 41410593 या delhi@linkintime.co.in पर ई-मेल करें।

9. <u>शेयर कक्ष :</u> शेयरधारकों को तीव्र एवं प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने प्रधान कार्यालय में शेयर कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक एवं निवेशकर्ता निम्न पते पर किसी भी प्रकार की सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं- कंपनी सचिव, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय (शेयर कक्ष), लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008, टेलीफोन: 011-25782926, 25812922, ई-मेल: complianceofficer@psb.co.in

निदेशक मंडल के आदेश से Sd/-

श्री एस. हरिशंकर प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 15.05.2020 • (A Government of India Undertaking)
Head Office: 21-Rajendra Place, New Delhi – 110 008

#### POSTAL BALLOT NOTICE

Dear Shareholder(s),

**NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT** pursuant to Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force) to seek consent of the Shareholders of Punjab & Sind Bank (herein referred to as "**the Bank**") to pass the Special Resolution by way of Postal Ballot including voting by electronic means i.e. "E-Voting")

The proposed Special Resolution and Explanatory Statement, stating the material facts and reasons thereof are annexed hereto.

The Bank has appointed Shri Deepak Gupta (CP No. 4629) as scrutinizer for conducting the Postal Ballot Process in a fair transparent manner.

Please read carefully the instructions printed in the notice of Postal Ballot and Form and Return the Form duly completed in all respects in the enclosed self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope so as to reach us not later than close of working hours i.e. 05:00 p.m. on 25.06.2020 at the following address:

Link Intime India Pvt. Ltd. Unit – Punjab & Sind Bank Noble Heights, Ist Floor, Plot No. NH-2, LSC, C-1 Block Near Savitri Market, Janakpuri New Delhi – 110 058

The Bank is also providing E-Voting facility for voting on the Special Resolution. The Shareholders desiring to opt voting facility are requested to read the notes to the Notice of Postal ballot and instructions given thereunder for E-Voting purpose.

The Scrutinizer will submit his / her report to the Chairman of the Bank / Managing Director & Chief Executive Officer ("MD & CEO") or any other Director / Officer of the Bank as authorized by the Board of Directors after completion of the scrutiny of the Postal Ballots. The result of the voting by Postal ballot will be announced on or before 5:00 p.m. on June 27, 2020 by displaying on the website of the Bank at www.psbindia.com and will be intimated to the Stock Exchanges. The result will also be hosted on the website of CDSL (e-voting agency) at www.evotingindia.com.

#### 1. TO RAISE CAPITAL THROUGH QUALIFIED INSTITUTIONS PLACEMENT

To consider and if thought fit, to pass with or without modification the following as a special resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 ("Act"), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 ("Scheme") and the Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., the Foreign Exchange Management Act, 1999, Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI ICDR Regulations"), as amended up to date and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into, with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "Board" which term shall be deemed to include Capital Issue Committee which the Board have constituted or/may re-constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot equity shares of the Bank of face value of Rs. 10 each ("Equity Shares") up to an aggregate amount not exceeding Rs.500 crore (Rupees Five Hundred Crore only) (including share premium) which together with the existing paid-up capital of the Bank will be within the ceiling of the Authorised Capital of the Bank, in such manner that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up equity capital of the Bank (as per the extant directive of Government of India), in one or more tranches, by way of a qualified institutions placement ("QIP") in one or more tranches, in India or in course of international offering(s) in one or more foreign markets, by way of private offering on preferential allotment basis, through issue of the placement document/ or other permissible/requisite offer document to any eligible person, including Qualified Institutional Buyers ("QIBs"), Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above, at such price or prices, at a permissible discount (including but not limited to any discount as may be permitted under Chapter VI of

SEBI ICDR Regulations) or premium to market price or prices permitted under applicable laws in such manner and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Board at its absolute discretion including the discretion to determine the categories of investors to whom the offer, issue and allotment shall be made, considering the prevailing market conditions and other relevant factors and wherever necessary in consultation with book running lead manager(s) and/or underwriter(s) and/or other advisor(s) or intermediary (ies) appointed and/or to be appointed by the Bank (the "Issue")."

"RESOLVED FURTHER THAT, subject to the applicable laws, approval of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of the Bank that pursuant to Chapter VI of the SEBIICDR Regulations:

A) The allotment of Equity Shares shall only be to QIBs (as defined in the SEBI ICDR Regulations) and such Equity Shares shall be fully paid-up and the allotment of such Equity Shares shall be completed within 12 months from the date of passing of this shareholders resolution approving the Issue or such other time as may be allowed under the SEBI ICDR Regulations from time to time."

B) The Bank in pursuant to provision of Regulation 176(1) of the SEBI ICDR Regulations is authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the SEBI ICDR Regulations.

C) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBIICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the approval of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of the Bank that the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to, by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment Equity Shares, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT the Equity Shares to be issued shall be subject to the Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board and the Board be and is hereby authorized to determine the form and manner of the Issue, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the Issue, offer and allotment of shares and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Running Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director and Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By Order of the Board of Directors

Sd/-

Shri S Harisankar MD & CEO

Place: New Delhi Date: 15.05.2020

**NOTES:** 

#### 1. EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto and form part of the Notice.

#### I. Issue of Equity Shares by way of Qualified Institutional Placement

- As per Basel III, Bank's CRAR as on December 31, 2019 was 12.04% with Tier I at 9.37% (CET1 being 7.61%) and Tier II at 2.67%. The Authorised Capital of the Bank is Rs.3000 crore and the Paid-up Equity Share Capital of the Bank is Rs.701.05 crore. In order to meet the growing capital requirement of funds in terms of Basel III Capital Regulations and to fund general business needs of the Bank, the Bank proposes to raise an amount of Rs.500 crore (including share premium), subject to the ceiling of the Authorised Capital, through issue of shares in the form of Qualified Institutions Placement (QIP) or such other issue as decided by the Board or Committee of the Board of the Bank. Subject to compliance with applicable laws and regulations, the Bank intends to use the net proceeds of the issue to augment its CET I Capital and for general business purposes, in accordance with applicable laws.
- The proposed special resolution seeks the enabling authorization of the shareholders of the Bank to the Board of Directors (Board), without the need of any further approval from the Shareholders, to create, offer, issue and allot equity shares by way of Qualified Institutions Placement as the Board may in its absolute discretion think fit depending upon market conditions in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, pursuant to applicable laws and guidelines and subject to approval of Central Government, Reserve Bank of India, SEBI and other required approvals and subject to the shareholding of Govt. of India not falling below 52% of the paid-up equity share capital of the Bank (as per the extant directive of Government of India).
- In terms of SEBI ICDR Regulations, the validity of the resolution is restricted to 365 days for QIP. The above Special Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a Qualified Institutions Placement with Qualified Institutional Buyers under Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations without seeking fresh approval from the shareholders. In terms of Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations, the QIP Issue shall be at such price which is not less than the price determined in accordance with the pricing formula provided under Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations (the QIP Floor Price). However, the Bank may in accordance with applicable laws, also offer a discount of not more than 5% or such percentage as permitted under applicable laws on the QIP Floor Price. "Relevant Date" for the purpose of pricing of Equity Shares shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Board decides to open the QIP Issue
- As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of the shares/securities to be issued. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Book Running Lead Managers and Advisors and such other agencies as may be required, considering the prevailing market conditions and other relevant factors.
- The Equity Shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank. The shares issued pursuant to the offering would be listed on the stock exchanges.
  - For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of shareholders by means of special resolution.
  - The Board of Directors of the Bank recommends the passing of the proposed resolution as set out in Item No.1 of the Notice.
  - None of the Directors is concerned or interested in the proposal contained in the Resolutions.

#### 2. Mode of Dispatch of Notice

This Notice along with the Postal ballot Form is being sent by electronic mode to those shareholders, whose Email addresses are registered with the Bank / Depositories, unless any shareholder has registered for a physical copy of the same. For Shareholders who have not registered their Email addresses, physical copies are being sent by the permitted mode. The Shareholders may note that this Notice of Postal ballot will be available on the Bank's website www.psbindia.com and on e-voting agency, CDSL's website www.evotingindia.com.

#### 3. Cut-off date

The voting rights will be reckoned on the paid-up value of Equity Shares registered in the name of the Shareholders on May 14, 2020 ("Cutoff date") Only those shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Bank or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date will be entitled to cast their votes by Postal Ballot or e-voting. A person who is not a shareholder as on the Cut-off Date should treat this Notice for information purposes only.

#### 4. Voting Rights

Pursuant to Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, no Shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of 10 (ten) percent of the total voting rights of all the Shareholders of the corresponding new Bank. In case of any amendments to the Act(s), Regulation(s), Scheme(s) which would result in change of any or part of the existing process as laid in this Notice, the amendment shall prevail.

#### 5. Mode of Voting

The Shareholders can **opt for only one mode of voting** i.e. either Postal Ballot Form or e-voting. In case, any shareholder cast his / her vote both by Postal Ballot Form and e-voting, the vote casted through e-voting shall prevail, and the vote casted through Postal Ballot Form shall be considered invalid.

Further, Shareholders who have received the Postal Ballot Notice by Email and who wish to vote through physical Postal Ballot Form, can download the Postal Ballot Form from the Bank's website <a href="www.psbindia.com">www.psbindia.com</a> or can get the form by writing to the Company Secretary, Punjab & Sind Bank, Bank House, 1st Floor, 21, Rajendra Place, New Delhi – 11 0008 or by sending e-mail to complianceofficer@psb.co.in and send duly completed and signed Postal Ballot Form to us so as to reach on or before 5:00 p.m. (IST) on Thursday, June 25, 2020.

#### 6. Date of Passing of Resolution

The resolution, if passed by requisite majority, shall be deemed to have been passed on **Thursday**, **June 25**, **2020** i.e. last date specified by the Bank for receipt of duly completed Postal Ballot Forms or E-Voting.

#### 7. Proxy

A Shareholder cannot exercise his / her vote by proxy on Postal ballot.

#### 8. Procedure for Voting

#### a. Voting through Postal Ballot Form

The Shareholders desiring to exercise their vote by sending Postal Ballot Form are requested to carefully read the instructions printed overleaf on the Form and return the said Form duly completed and signed, in the enclosed self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope to us, so that it reaches us not later than 05:00 p.m. on **Thursday, June 25, 2020**. The postage will be borne by the Bank. However, envelopes containing Postal Ballot Form, if sent by courier or registered / speed post or deposited personally at the address given on the self-addressed postage prepaid Business Reply Envelope at the expense of the Shareholder(s) will also be accepted. If any Postal Ballot Form is received after 5:00 p.m. on **Thursday, June 25, 2020**, it will be considered that no reply from the Shareholder(s) has been received. Additionally, please note that the Postal ballot Forms shall be considered invalid if:

- i. It is not possible to determine without any doubt the assent or dissent of the Shareholders(s); and/or
- ii. A competent Authority has given the directions in writing to the Bank to freeze the voting rights of the Shareholder(s); and/or
- iii. It is defaced or mutilated in such a way that its identity as a genuine form cannot be established; and / or
- iv. The shareholder(s) has made any amendment to the resolution set out herein or imposed any condition while exercising his/her vote; and/or
- v. The details provided in the Form are incomplete or incorrect; and / or
- vi. Form is not signed or signature does not tally; and/or
- vii. If the Form other than the one issued by the Bank is used.

In case, a Shareholder is desirous of obtaining a duplicate Form, he / she may write to the Bank at its Head Office, Punjab & Sind Bank, Bank House, HO Accounts & Audit Department, 1<sup>st</sup> Floor, 21 Rajendra Place, New Delhi – 110008 or its Registrar and Share Transfer Agent, Link Intime India Private Limited Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058. However, the duly completed and signed Duplicate Postal Ballot Form should reach us on or before 5:00 p.m. on **Thursday, June 25, 2020.** 

#### b. E-Voting

The process and manner of e-voting shall be as follows:

- i. The voting period begins on 26.05.2020 at 10.00 a.m. and ends on 25.06.2020 at 5.00 p.m. During this period shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date 14.05.2020, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- ii. The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- iii. Click on Shareholders.
- iv. Now Enter your User ID
- a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
- b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
- c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered.
- v. Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- vi. If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.
- vii. If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form			
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)  Members who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number which is printed on Postal Ballot indicated in the PAN field			
DOB	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the company records for the said demat account or folio in dd/mm/yyyy format.			
Dividend Bank Details	Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the company records for the said demat account or folio.			
	Please enter the DOB or Dividend Bank Details in order to login. If the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).			

- viii. After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- ix. Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- x. For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- xi. Click on the EVSN for Punjab & Sind Bank on which you choose to vote.
- xii. On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- $xiii. \quad Click on the ``RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.$
- xiv. After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- xv. Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- xvi. You can also take out print of the voting done by you by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- xvii. If Demat account holder has forgotten the changed password then Enter the User ID and the image verification code and click on

Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

xviii. Note for Non – Individual Shareholders and Custodians

- a. Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
- b. A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- c. After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link account(s) for which they wish to vote on.
- d. The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- e. A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- xix. Person who have acquired shares and become members after dispatch of notice may also use the above given procedure for remote e-voting.

Note: In case member(s) cast their vote both via Physical Ballot and e-voting, then voting done through e-voting shall prevail and voting done by Physical Ballot will be ignored.

Sh. Deepak Gupta, Practicing Company Secretary (CP No.4629) has been appointed as the scrutinizer to the electronic voting process and for poll at the Postal Ballot, who shall prepare and submit its report of the votes cast in favour or not in favour/ against, within 2 days of the conclusion of the meeting;

The results declared along with the scrutinizer's report shall be placed on the website of the Bank and on the website of CDSL immediately after the result is declared;

Subject to receipt of the sufficient votes, the resolution(s) shall be deemed to be passed on the last date of the receipt of Postal Ballot i.e. **Thursday**, **June 25**, **2020**;

Notice of the meeting is also displayed at www.psbindia.com and www.cdslindia.com.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call Mr. Wenceslaus Furtado, Deputy Manager, CDSL, 16th floor, P.J Tower, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001, Phone-18002005533 or Call Mr. Bharat Bhushan, Associate Vice President, Link Intime India Pvt. Ltd, Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058 Phone-41410592, 41410593 or write an email to delhi@linkintime.co.in.

#### 9. SHARES CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up a Shares cell at its Head Office, New Delhi, Shareholders may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance: The Company Secretary, Punjab & Sind Bank, Head Office, Shares Cell, Accounts & Audit Department, 21, Rajendra Place, New Delhi – 110008, Telephone: 011-25782926, 25812922, E-mail: complianceofficer@psb.co.in

By Order of the Board of Directors

Sd/-

Shri S Harisankar MD & CEO

Place: New Delhi Date: 15.05.2020



#### पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्रधान कार्यालय: 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली -110008

## पोस्टल बैलेट फार्म / POSTAL BALLOT FORM

(इस फॉर्म को पुरा करने से पहले कृपया पृष्ठ के पीछे छपे निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें)

1. एकल/प्रथम शेयरधारक का नाम

Name of the Sole / First Shareholder

एकल/प्रथम शेयरधारक का पंजीकृत पता
 Registered address of the Sole/First Shareholder

 पंजीकृत फोलियो संख्या/डीपी-क्लाईंट आईडी Registered Folio Number / DP-Client ID

4. धारित शेयरों की संख्या :

Number of Shares held

5. मैं/हम बैंक के पोस्टल बैलेट नोटिस दिनांक 15.05.2020 में वर्णित कारोबार हेतु पोस्टल बैलेट के माध्यम से पारित किया जाने वाले विशेष संकल्पों के संबंध में मेरा/हमारे वोट का प्रयोग करते हूँ, निम्नलिखित उपयोग कॉलम में (✔) टिक मार्क लगाते हुए मेरी/हमारी सहमित/असहमित दर्शाता हूँ। I/We hereby exercise my/our vote in respect of the Special Resolutions to be passed through Postal Ballot for the business stated in the Notice of Postal ballot dated 15.05.2020 of the Bank conveying my/our assent to the said Resolution by placing the (✔) mark at the appropriate column below:

मैं एतदद्वारा निम्नलिखित तरीके उक्त संकल्प पर अपनी सहमित या असहमित दर्ज करके नीचे विशेष संकल्प के संबंध में अपने मत का प्रयोग करता हूं : I hereby exercise my vote in respect of Special resolution enumerated below by recording my assent or dissent to the said resolution in the following manner:

में / हम एतद्वारा अपना / अपना मतदान रिकॉर्ड करते हैं [ ✔] I/We hereby record my / our voting as marked [ ✔]

		मेरे द्वारा धारित	मैं संकल्प के प्रति	मैं संकल्प के प्रति
संख्या	संकल्प	शेयरों की संख्या	सहमत हूँ	असहमत हूं
Item No.	Resolution	No. of shares held by me	I ascent to the resolution	I dissent to the resolution
वि प्रत रूप शे सा प्रा 1. पर वि Sp Ta fa Qu	विशेष संकल्प:  ग्रत्येक अंकित मूल्य रु. 10/- (केवल दस रुपए) के 500 करोड़ रुपए (पाच सौ करोड़  हुपए) के नए शेयर सृजन, ग्रांट, प्रस्तावित, निर्गम और आबंटित करने के संबंध में  शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना जो बैंक के वर्तमान ईक्वटी शेयरों के समरूप,  तभी प्रायोजनों तथा सभी प्रकार से जिसमें लाभांश का भुगतान सम्मिलित है, अहर्ता  ग्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से एक या अधिक शृंखला में, ऐसे मूल्य या मूल्यों  गर, ऐसे नियमों एवं शर्तों जैसा कि बोर्ड/सिमिति द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार और  वेचार करने हेतु  special Resolution  To seek approval of shareholders to create, offer, issue and allot Fresh Equity Shares of  ace Value of Rs10/- (Rupees Ten only) each up to an amount of Rs.500 crore by way of  Qualified Institutional Placement, ranking pari passu with the existing equity shares of  the Bank for all purpose and in all respects, including payment of dividend, in one or  nore tranches, at such price or prices, and on such terms and conditions as may be	me	resolution	resolution

स्थान / Place: दिनांक / Date: \_\_\_\_\_ (शेयरधारक के हस्ताक्षर) / (Signatures of the Shareholder)

ईलेक्ट्रोनिक वोटिंग के लिए कृपया नोटिस में संलग्न निर्देशों का संदर्भ ले / For Electronic Voting, please refer the instructions in the notice attached herewith

संवीक्षक द्वारा पोस्टल बैलेट फॉर्म प्राप्त किए जाने कि अंतिम तारीख: गुरुवार, 25 जून 2020 को शाम 05:00 बजे तक Last date of receipt of Postal Ballot Form by the Scrutinizer: By 05:00 p.m. on Thursday, 25 June 2020

ईलेक्ट्रोनिक वोटिंग विवरण / Electronic Voting Particulars

· •		
ईवीएसएन	यूजर आईडी (फोलियो संख्या/डीपी-क्लाईंट आईडी	सिकुयन्स नंबर
EVSN	USER ID (folio number / demat account number)	Sequence number
200515001		



#### निर्देश / INSTRUCTIONS

- 1. पोस्टल बैलेट द्वारा वोट का प्रयोग करने के लिए इच्छुक शेयरधारक इस पोस्टल बैलेट फॉर्म को पूर्ण रूप से भरकर इसे संलग्न स्व-संबोधित डाक प्रीपेड लिफाफे (self-addressed postage pre-paid envelope) में संवीक्षक को प्रेषित करें। सदस्य के व्यय पर पोस्टल बैलेट वाले लिफाफे यदि व्यक्ति द्वारा जमा किए जाते हैं अथवा कोरियर द्वारा भेजे जाते हैं तो भी स्वीकार्य होंग। / A Shareholder desiring to exercise vote by Postal Ballot may complete this Postal Ballot Form and send it to the Scrutinizer in the enclosed self-addressed postage pre-paid envelope. Envelopes containing Postal Ballots, if deposited in person or sent by courier at the expense of the Member will also be accepted.
- 2. यह फॉर्म पूर्ण रूप से भरा जाना चाहिए और शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित (बैंक / डिपॉजिटरी सहभागियों के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) होना चाहिए। सन्युक्त धारक की स्थिति में, इस फॉर्म को प्रथम धारक सदस्य तथा उसकी अनुपस्थिति में अगले धारक सदस्य द्वारा भरा व हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। / This Form should be completed and signed by the Shareholder (as per the specimen signature registered with the Bank/Depository Participants). In case of joint holding, this Form should be completed and signed by the first named Member and in his absence, by the next named Member.
- 3. कंपनियों, न्यास, सोसायटी इत्यादि द्वारा शेयरधारक होने की स्थिति में विधिवत पूर्ण रूप से भरे गए पोस्टल बैलेट फॉर्म को निदेशक मंडल के संकल्प/ प्राधिकृतीकरण के प्रमाणित सही प्रति के साथ होना चाहिए। जहाँ फॉर्म भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित है, पोस्टल बैलेट फॉर्म के साथ नामांकन की प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए।/In case of shares held by companies, trusts, societies etc., the duly completed Postal Ballot Form should be accompanied by a certified true copy of Board Resolution/Authorisation. Where the form has been signed by a representative of the President of India or of the Governor of a State, a certified copy of the nomination should be attached with the Postal Ballot Form.
- 4. उपयुक्त कॉलम में सही(✔) के निशान द्वारा कॉलम 'FOR' में सहमित तथा कॉलम 'AGAINST' में असहमित दर्ज करके रिकार्डिंग के लिए सम्मित दी जाए। / The consent must be accorded by recording the assent in the Column 'FOR' and dissent in the column 'AGAINST' by placing a tick mark (✔) in the appropriate column.
- 5. अहस्ताक्षरित, अपूर्ण या दोषपूर्ण पोस्टल बैलेट फॉर्म अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। / Unsigned, incomplete or defective Postal Ballot Forms are liable to be rejected.
- 6. यह आवश्यक नहीं कि शेयरधारक अपने सभी वोटों का प्रयोग करें अथवा सभी वोट एक ही तरीके से करे।/ A Shareholder need not use all the votes nor needs to cast all the votes in the same way.
- 7. विधिवत पूर्ण रूप से भरे हुए पोस्टल बैलेट फॉर्म दिनांक 25 जून. 2020. दिन गुरुवार को कार्य-समय अर्थात अपराहन 05:00 बजे तक संवीक्षक के पास पहुंच जाने चाहिए। इस तिथि के बाद प्राप्त सभी पोस्टल बैलेट फॉर्म को ऐसा माना जाएगा जैसे कि किसी सदस्य से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।/ Duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the close of working hours i.e. 5.00 p.m. on Thursday, 25 June, 2020. All Postal Ballot Forms received after this date will be treated as if reply from such Member has not been received.
- 8. आवश्यकता होने पर शेयरधारक पोस्टल बैलेट फॉर्म की प्रतिलिपि के लिए अनुरोध कर सकता है। बहरहाल, विधिवत रूप से भरा हुआ डुप्लीकेट पोस्टल बैलेट फॉर्म उपरोक्त मद बिंदु संख्या 7 में दिए गए तारीख तक पहुंच जाना चाहिए।/ A Shareholder may request for a duplicate Postal Ballot Form, if so required. However, the duly filled in duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the date specified at item No. 7 above.
- 9. शेयरधारकों से अनुरोध है कि संलग्न स्व-संबोधित डाक प्रीपेड लिफाफे (self-addressed postage pre-paid envelope) में पोस्टल बैलेट फॉर्म के साथ किसी प्रकार का अन्य कागज़ न भेजें।/ Shareholders are requested not to send any other paper along with the Postal Ballot Form in the enclosed postage pre-paid self addressed envelope.
- 10. निर्धारित तिथि यथा <u>गुरुवार, 14 मई, 2020</u> पर शेयरधारकों के नाम पर पंजीकृत शेयर्स के प्रदत्त मूल्य पर मतदान के अधिकार की गणना की जाएगी।/ Voting rights shall be reckoned on the paid up value of the shares registered in the name of the Shareholders on the cut off date i.e. <u>Thursday. 14 May 2020.</u>
- 11. पोस्टल बैलेट फॉर्म की वैधता पर संवीक्षक का निर्णय अंतिम होगा।/ The Scrutinizer's decision on the validity of a Postal Ballot Form will be final.
- 12. पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान के परिणाम की घोषणा शिनवार, 27 जून 2020 की घोषना को या उससे पहले किया जाएगा तथा बैंक के केन्द्रीय कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा, शैयर बाज़ारों को सूचित किया जाएगा, बैंक व ई-वोटिंग एजेंसी के वेबसाइटट में प्रदर्शित किया जाएगा।/ The result of the voting by Postal Ballot will be announced on or before Saturday, 27 June 2020 and displayed on the Notice Board of the Bank at its Central Office, intimated to the stock exchanges, hosted on the website of the Bank and E-Voting Agency.
- 13. ई-वोटिंग : सेबी (स्चीबद्धता और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 44 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित तत्संबंधी बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक एक विकल्प के रूप में ई-वोटिंग सुविधा (सीडीएसएल के प्लेटफॉर्म ई-वोटिंग के माध्यम से) प्रदान करने के इच्छुक है जो शेयरधारकों को भौतिक बैलेट फॉर्म भेजने के स्थान पर इलेक्टॉनिक तरीके से वोट देने के लिए सक्षम करेगा। कृपया ध्यान दें कि ई-वोटिंग वैकल्पिक है। शेयरधारक द्वारा ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से वोट करने की स्थिति में उसे भौतिक बैलेट फॉर्म भेजने की आवश्यकता नहीं है।/ E-VOTING: in compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereto, the Bank is pleased to provide E-voting facility (through e-voting platform of CDSL) as an alternate which would enable the Shareholders to cast votes electronically, instead of sending Physical Ballot Form. Please note that E-voting is optional. In case a Shareholder has voted through E-voting facility, he/she is not required to send the Physical Ballot Form.
  - यदि कोई शेयरधारक अपना वोट दोनों प्रकार अर्थात भौतिक बैलेट और ई-वोटिंग से देता है तो ई-वोटिंग से दिया गया वोट वैध माना जाएगा और शेयरधारक का भौतिक वेलेट और ई-वोटिंग से देता है तो ई-वोटिंग से दिया गया वोट वैध माना जाएगा और शेयरधारक का भौतिक वोटिंग अवैध माना जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि ई-वोटिंग के संबंध में विस्तृत निर्देशों के लिए नोटिस और तत्संबंधों नोट का अवलोकन करें।/ In case Shareholder(s) cast their votes via both modes i.e. Physical Ballot as well as E-voting, then voting done through E-voting shall prevail and Physical Voting of that shareholder shall be treated as invalid. Shareholders are requested to refer to the Notice and notes there to, for detailed instructions with respect to e-voting.